न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी कामां

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार यादव आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी

मुकदमा नं0 63/16

उनवान

सोहनलाल पुत्र सुक्खी जाति जाटव निवासी ग्राम लेबडा तहसील कामां — वादी

बनाम

1 हुकम पुत्र कमला
2 विजय उर्फ विजेन्द्र पुत्र हुकम
3 उथल पुत्र हुकम जाति जाटव निवासी कुलवाना तहसील कामां

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 188 आर0टी.0 एक्ट

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा
2. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा

निर्णय

दिनांक 15.5.2018

वादी अधिवक्ता द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट के तहत प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश किया है कि आ0ख0नं0 387/0.07, 426/7/0.49 है0 वाके ग्राम कुलवाना तहसील कामां वादी की खातेदारी आराजी है जिस पर वादी वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिल रहकर काश्त करता चला आ रहा है और मौके पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है । वादीगण का उक्त आराजी पर शन्तिपूर्वक कब्जा रहा है वादीगण की आराजी मुतदाविया से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नही था न ही विगत वर्षो से किसी प्रकार का रहा है किन्तु प्रतिवादीगण जो लट्ठ के बल एव ताकत बल पर मजाहमत व मदाखलतकरना चाहते है तथा वादी की आराजी को जबरन हडपना चाहते है । प्रतिवादीगण वादीगण को एलानियां धमकी दी हे कि हम आराजी मुतादविया पर जबरन कब्जा करके रहेगें । इसलिए प्रतिवादीगण के खिलाफ डिकी स्थायी निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है कि आराजी मुतदाविया पर कब्जे काश्त किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न करें मौके की यथा स्थिति बनाये रखे । वादी को बेदखल उसकी आराजी पर कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज.

नाजायज न करें । काश्त करने में व्यवधान पैदा न करें । ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हकूक वादी जायल हों

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया पक्षकारा आज न्याय आपके द्वार कैम्प ग्राम पंचायत घिलावटी में उपस्थित आये मौखिख जबाव पेश किया कि मोके पर पहुंच कर सीमाज्ञान करा दिया जावे । जिससे हम संतुष्ट हैं । यदि आराजी निकलती है तो छोडने के लिए तैयार हैं कोई विवाद नहीं है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेज व जबाव प्रतिवादीगण का मनन किया गया वादीगण व प्रतिवादीगण में सीमाएं बावत विवाद है अतः तहसीलदार कामां को लिखा जावे कि मौके पर पक्षकारान को सूचित किया जाकर निशानात कायम करवाया जाना उचित समझते हैं

अतः आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार कामां दोनों पक्षों की मौजूदगी की आ0ख0नं0 387/0.07, 426/7/0.49 है0 वाके ग्राम कुलवाना तहसील कामां की पैमाइश कर सीमाएं तय कर निशानात कायम करें इसी प्रकार डिकी तेयार किया जाकर तहसीलदार कामां पालना हेतु भेजी जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो

निर्णय आज दिनांक 25.5.2018 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया है

25.05.18

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
कामां जिला भरतपुर